THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SEDDHARTHA): (a)
There is some shortage in some hospitals.

(b) Sufficient number of Auxiliary Nurse Midwives are avilable in Rural Health Centre*.

(c) Recently Government have created certain posts of nursing personnel in two Central Government Hospitals in Delhi. Besides this, Plan provision has been made for Central assistance to State Governments for establishment of new Nursing Schools and for strengthen ing of existing nursing schools in the country to increase the output of nurses.

National Tuberculosis control programme

977. DR NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of districts which are including under short course of chemotherapy for Tuberculosis under "National Tuberculosis Control Programme";

(b) by when the remaining districts are likely to be covered;

(c) whether there is any proposal to' make Naitonal Tuberculosis control Programme a 100 per cent centrally sponsored scheme;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) A total of 253 District T.B. Centres have been brought under Short Course Chemotherapy Drug Regimen so far. Remaining District T.B. Centres would be brought under this regimen by the and of 8th Five Year Plan.

(c) to (e) A proposal to convert National Tuberculosis Control Programme as 100 per coat centrally sponsored scheme during the 8th Five Year Plan was considered but could not be agreed to due to resources co\nstraint.

"एड्स" की रोकथाम के लिए के संबंध में परियोजना रिपोर्ट

978. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "एड्स" रोग की रोकथाम के लिए हिंदुस्तान लैटेक्स की और कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड ने गर्भ-निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रोत्साहन कार्यकलापों में सुधार करने के लिए 9-9-1991 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था । यह प्रस्ताव 22.41 लाख रुपए का परिव्यय मंजूर करने के लिए है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

1.	गुणवत्ता आश्वासन पद्धिति में सुधार करने के लिए उपकरणों की खरीद	806
2.	अनुसंधान अध्ययन	35
3.	आई० ई० सी०	525
4.	10,000 क्रिय मशीनें स्थापित करना	875
		2241

(ग) देश में पहले ही 1987 से एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है । इस राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण योजना को 1000 लाख अमरीकी डालर की लागत पर वित्तपोषित करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है ।

एड्स नियंत्रण परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने संबंधी उपाय शामिल हैं, जिसमें हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा उनके उपर्युक्त प्रस्ताव में लिखित कुछ कार्यकलाप भी शामिल होंगे ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन दर्ज मामले

979. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति दोषी पाए गए तथा कितने लोगों को दंडित किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि 1989 में जांच हेतु लिए गए नमूनों की संख्या इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान लिए गए नमूनों की संख्या से कम थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(क) और (ख)

वर्ष	खाद्य अपमिश्रण अधिनिमय, 1954 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजनों की संख्या (दर्ज मामले)	खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अंतर्गत दोषी पाए गए मामलों की संख्या
1988	9599	2576
1989*	8196	1990
1990**	4854	1352

(ग) और (घ) वर्ष 1986 से 1989 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	जांच किए गए नमूनों की संख्या
1986	1,21,969
1987	1,31,391
1988	1,30,390
1989*	1,22,599

*वर्ष 1989 की सूचना अनंतिम है क्योंकि हरियाणा और जम्मू और कश्मीर राज्यों से अभी तक कुछ स्पष्टीकरण की प्रतिक्षा की जा रही है ।

**वर्ष 1990 की सूचना अधूरी/अनंतिम हैं क्योंकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्टों की हरियाणा, उडीसा, सिक्किम, तमिलनाड, और उत्तर प्रदेश राज्यों से अभी प्रतीक्षा की जा रही है। गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक से भी अ भी कुछ स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा का जा रही है ।